

दुकान हेतु

आवेदनकर्ता
का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'M - Block' में स्थित
दुकान को दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए
अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी : फोटोकॉपी
2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : _____
(जिसके नाम आवेदन किया जाना है)
3. पिता/पति का नाम / : _____
प्रोपराइटर का नाम
4. लिंग : _____
5. जन्मतिथि (उम्र) : _____
6. पता : _____
वर्तमान पता — : _____
स्थायी पता — : _____
7. मोबाईल नम्बर : _____
8. ई-मेल आईडी0 : _____
9. राष्ट्रीयता : _____
10. पहचान पत्र का विवरण : _____
11. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :
डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम _____
डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम _____
डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या _____
डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि _____

दिनांक :
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट :

- (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
- (2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 26.09.2026 समय दोपहर 11 से 2 बजे तक है।
- (3) उपरोक्त दी गयी जानकारी दुकान के आवंटन के लिए प्रयोग की जाएगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी की तिथि एवं समय : दिनांक 29.09.2026 (मंगलवार) एवं प्रातः 11:00 बजे

नीलामी का स्थान : एम-ब्लॉक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
गोमती नगर, लखनऊ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय परिसर में स्थित 'एम' ब्लॉक की 02 दुकानों को दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

उपरोक्त दुकानों की नीलामी दिनांक 29.09.2026 (मंगलवार) को दोपहर 11.00 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लॉक परिसर में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं जिन्हें इच्छुक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रुपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 22.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'सीनियर रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के नाम रुपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दिनांक – 22/09/2026

Sd/-
निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

Shops in ‘M’ Block -

Sl. No.	Shop No.	Total Area of the Shop (in square feet)	Nature	Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (i.e. from 01.10.2026 to 31.03.2027)
1	4	185.82	Photocopy Shop	Rs. 1,25,000/-
2	6	182.50	Photocopy Shop	Rs. 1,25,000/-

Terms and Conditions of Auction

1. The Shops will be auctioned for grant of License for 06 months (i.e. from 01.10.2026 to 31.03.2027) on 'as is where is' basis.
2. For participating in the auction, the bidder shall have to deposit **Rs.30,000.00** (Rupees Thirty Thousand only) for Shops in cash as earnest money, which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidders as per rules and in case of successful bidder, the earnest money will be adjusted against his/ her license fee.
3. No person having a criminal history/ antecedent shall be eligible to participate in the auction proceedings.
4. For participating in the Auction, the interested persons shall have to apply on the prescribed Application Form of Rs.100.00 (Rupees One Hundred only), which may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 22.09.2026 to 26.09.2026 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. and duly filled application forms may be submitted from 22.09.2026 to 26.09.2026 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. in the Pass Section.

The said Application Form will also be available on the official website of the Allahabad High Court (www.allahabadhighcourt.in) and may be downloaded from there. But, in such condition, the applicant is required to submit the requisite amount of Rs.100.00 (Rupees One Hundred Only) through the Bank Draft drawn in favour of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow**.

5. Shops, which are to be auctioned, may be inspected by the applicants at M-Block of High Court Building on 26.09.2026 during working hours after duly obtaining the pass/permission from Gate No. 6. It will be the duty of the applicants to carry out the complete inspection of the Shops included in the Auction, before bidding. Any information regarding the auction may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 22.09.2026 to 26.09.2026 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M.
6. Minimum Bid Price for each Shop is tabulated below, for the period of 06 months w.e.f. 01.10.2026 till 31.03.2027 and the person, who would offer the highest bid for the concerned Shop, will be allotted the same.

Sl. No.	Shop No.	Type of Shop	Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (w.e.f. 01.10.2026 till 31.03.2027)
1	4	Photocopy Shop	Rs.1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)
2	6	Photocopy Shop	Rs.1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)

7. The bidder, whose bid is accepted, will be required to deposit 25 percent of the amount of Bid in the form of Cash, after adjusting the earnest money, immediately. If 25 percent amount of the bid amount is not deposited

immediately by the bidder, then the bid shall be deemed cancelled automatically and the earnest money deposited by him/her will be forfeited.

In this situation, the Auction Committee shall have the right to offer the Shop to the next highest bidder and such bidder shall have to comply with the above conditions and in case of his/ her default, the concerned Shop may be auctioned afresh as per rules.

8. The successful bidder will have to deposit the remaining 75 percent of the amount of Bid through Bank Draft drawn in favour of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow** along-with duly sworn Affidavit bearing self declaration for having no criminal antecedent(s), within 15 working days from the date of order of allotment of Shop, in case of non-compliance of the above, the amount deposited by the allottee shall be forfeited in favour of the Hon'ble High Court.
9. The successful bidder shall have to deposit the 'Indemnity amount' of **Rs.25,000.00** (Rupees Twenty Five Thousand only) for Shop within 15 working days from the date of order of allotment of Shop. The said 'Indemnity amount' will be returned to the allottee after adjusting the dues, if any, of electricity charges and others whenever the allottee vacates his Shop.
10. Before taking over the possession of Shop, the successful bidder shall have to sign/enter into a License agreement with the High Court on the Non Judicial Stamp paper of **Rs. 100/-** (Rupees One Hundred only).
11. Successful bidder, to whom the Shop is allotted, shall have to vacate the Shop by removing all his belongings before 04.30 p.m. on 31.03.2027, if the term is not extended in his/ her favour by this Hon'ble Court, failing which the High Court Administration will take over the possession of the Shop. In case, the licensee of the Shop continues possession of Shop even after 31.03.2027 then the due amount will be recovered by way of recovery as arrears of Land Revenue through Collector as decided by the Court.
12. The allottee shall use the Shop only for the purpose, for which it has been auctioned and not for any other purpose and also the allottee shall not sub-let the same to any other person.
13. The allottee is bound to maintain the Shop in neat and clean condition. For this purpose, the allottee will have to keep a dustbin of appropriate size for disposal of all kind of wastes.
14. The allottee shall not alter the structure of the Shop in any manner and will not cause any damage to the Shop.
15. The allottee shall be responsible for safety of the articles kept in the Shop allotted to him/ her and the High Court, under no circumstances, shall be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.
16. The Shop may be used from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. on all working days.
17. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the Shop and the allottee of the Shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh.

18. A normal electric connection has been provided in the Shops. If any allottee intends to install some specific electrical appliances which requires special electric fitting, the allottee may arrange the same at his/her own expenses with prior permission of the Hon'ble High Court and the same will be un-installed at the time of vacating the Shop by the allottee at his/her own cost.
19. No person shall be allotted more than one Shop.
20. With regard to Photocopy Shop, any person to whom the Shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in a Shop.
21. The High Court Administration shall have the right to carry out the inspection of the premises of any Shop without any prior notice on any day.
22. In case of non-compliance of any of the above-mentioned conditions by the allottee, the High Court reserves the right to revoke the license.
23. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.
24. In case of any dispute with regard to auction proceeding, the jurisdiction shall be at Lucknow.
25. Any other terms and conditions, if required, shall be disclosed by the Auction Committee, just before the start of the Auction.
26. The number of Shops/ Cabins to be auctioned may vary subject to the availability of Shops/ Cabins on the date of Auction.
27. The allottee shall inform this Hon'ble Court about his/ her criminal history, including FIR(s), arrest(s), prosecution(s), detention(s), conviction(s) etc., if any, along-with the particulars, thereof. The licensee shall disclose/ inform any such incident to this Hon'ble Court forthwith, if it occurs during his/ her license term. Non-disclosure of any such incident shall be the ground for licensor to terminate the license.

Sd/-
Registrar (J) (Admin.)
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow

नीलामी की शर्तें

1. दुकान, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक (06 माह हेतु) अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।
2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि ₹ 30,000/- (रुपया तीस हजार मात्र) नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3 कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो, वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है।
- 4 नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन-पत्र पर, जिसका मूल्य रुपये 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 22.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

उक्त आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा वहाँ से डाउन लोड भी किया जा सकता है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'सीनियर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के नाम रुपये 100.00 का बैंक ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 5 नीलाम होने वाली दुकानों को दिनांक 26.09.2026 को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लॉक में देखा जा सकता है तथा आवेदक का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 22.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

- 6 सभी दुकानों की बोली 06 महीनों हेतु (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) निम्नलिखित होगा और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसको वो दुकान आवन्तित कर दी जाएगी : –

दुकान की सूची : –

क्रम सं०	दुकान सं०	दुकान की प्रकृति	* न्यूनतम निर्धारित मूल्य 06 माह के लिए (रूपये में)
1	4	फोटोकॉपी	Rs. 1,25,000/-
2	6	फोटोकॉपी	Rs. 1,25,000/-

*** दिनांक 01.10.2026 से 31.03.2027 तक**

- 7 जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात्) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व बोलीदाता द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसे बोलीदाता को बोली से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तों का पालन करना होगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित दुकान की नीलामी नये सिरे से की जाएगी।

- 8 सफल व्यक्ति को शेष 75 प्रतिशत धनराशि सीनियर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा अलॉटमेंट आर्डर के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके पहले से जमा धनराशि भी माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ एक स्व घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेयरेशन) संलग्न करना होगा, यह बताते हुए कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।

- 9 नीलामी में सफल व्यक्ति को अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ ₹0 25,000/— (पच्चीस हजार मात्र) दुकान के लिए 'इन्डेमनिटी धनराशि' के रूप में अलॉटमेंट आर्डर के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि विद्युत बिलों के भुगतान एवं अन्य देयकों में समायोजित कर ली जाएगी। कोई देय शेष न रहने की स्थिति में उक्त 'इन्डेमनिटी धनराशि' लाईसेंस धारक को उसके दुकान को खाली करने पर वापस कर दी जाएगी।
- 10 बोली में सफल व्यक्ति को रुपये 100.00 (रुपया एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 11 यदि बोली में सफल व्यक्ति की दुकान का लाईसेन्स अवधि विस्तार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को दिनांक 31.03.2027 तक दुकान से अपना सामान हटा कर सायं 04.30 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देना होगा। अन्यथा कोर्ट द्वारा दुकान का कब्जा ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त भी, किसी भी स्थिति में, दुकान का कब्जा लाईसेंस धारक द्वारा न छोड़े जाने पर शेष देय धनराशि कलेक्टर के माध्यम से भू-राजस्व की भौति माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार वसूल की जाएगी।
12. जिस उद्देश्य हेतु दुकान की नीलामी की जायेगी, वह दुकान उसी उद्देश्य हेतु केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही प्रयोग की जायेगी एवं बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान व उसके आस पास के स्थानों को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान में उचित आकार का कूड़ेदान रखेगा तथा कूड़ा-कचरा उसी कूड़ेदान में डालेगा।
14. बोली में सफल व्यक्ति दुकान की भौतिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
15. दुकान में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, संध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

16. दुकान का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।
17. दुकान में प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब-मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल प्रति माह 30 प्रॉ में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।
18. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह मा0 उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी।
19. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी।
20. फोटोकापी की दुकान के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान में अधिकतम तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है।
21. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी दिन, किसी भी दुकान के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
22. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
23. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे तथा अन्तिम बोली सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
24. नीलामी प्रक्रिया के विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
25. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर दी जायेगी।

26. नीलामी की जाने वाली दुकानों / केबिनों की संख्या नीलामी वाले दिन दुकानों / केबिनों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
27. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने आपराधिक इतिहास के बारे में इस माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करेगा जिसमें एफ0आई0आर0, गिरफ्तारी, अभियोजन, हिरासत, दोषसिद्धि आदि, यदि कोई हो, उसके विवरण के साथ शामिल होंगे। नीलामी में सफल व्यक्ति ऐसे किसी भी घटना की सूचना तुरन्त इस माननीय उच्च न्यायालय को देगा। ऐसी किसी भी घटना का खुलासा न करना, इस माननीय न्यायालय के लिए लाईसेन्स समाप्त करने का आधार होगा।

Sd/-

निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ